राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर

S. B. Civil First Appeal No. 969/2018

15.11.2018

<u>माननीय न्यायाधिपति श्री महेन्द्र माहेश्वरी</u>

अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री अनूप दण्ड

योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि इस मामले में प्रत्यर्थीगण द्वारा केवियट प्रस्तुत की जा चुकी है तथा केवियटकर्ता के अधिवक्ता श्री युनूस खान को उनके द्वारा अपील मीमो की प्रति भी प्रदान की जा चुकी है। अतः कार्यालय को निर्देशित किया जावें कि भविष्य में केवियटकर्ता/प्रत्यर्थीगण की ओर से श्री यूनूस खान अधिवक्ता का नाम अंकित करते हुए दैनिक वाद सूची जारी की जावें।

सुना गया।

निवेदन अनुसार कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि यदि प्रत्यर्थीगण द्वारा केवियट प्रस्तुत की गई है तो उक्त केवियट की पत्रावली इस प्रकरण के साथ संलग्न की जावें एवं भविष्य में प्रत्यर्थीगण/केवियटकर्ता की ओर से अधिवक्ता श्री यूनूस खान का नाम अंकित किया जावें।

अभिलेख तलब किया जावें।

प्रकरण चार सप्ताह बाद सूचीबद्ध हो।

(महेन्द्र माहेश्वरी)
न्यायाधिपति

जे एस पंवार/61